राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1754/2012/कोटा.

मैसर्स जे. के. सीमेंट लिमिटेड, 312, शॉपिंग सेंटर, कोटा. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. सहायक आयुक्त, विशेष वृत–द्वितीय, कोटा.
2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05/12/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर कैम्प–कोटा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 07/वैट/2011–12/कोटा में पारित किये गये आदेश दिनांक 07.05.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–द्वितीय, कोटा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2005–06 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 35 सपठित राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 34 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 07.03.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तहत संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2005–2006 का नियमित कर निर्धारण आदेश राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 29(6) के तहत दिनांक 21.08.2008 को पारित किया गया था। उक्त आदेश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्वयं के प्लांट्स के निर्माण हेतु कार्य में ली गयी सीमेंट कीमतन रूपये 62,34,383/– को अस्वीकार करते हुए उक्त माल की बिक्री होना मानते हुए उस राशि पर कर व ब्याज का आरोपण किया गया था। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 26.02.2009 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि व्यवहारी को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर

लगातार.....2

प्रदान करने के उपरान्त इस बिन्दु पर पुनः कर निर्धारण आदेश परित किया जावे। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियम 35 के तहत आदेश दिनांक 07.03.2011 पारित करते हुए, इस आधार पर उक्त माल की बिक्री मानी गयी कि व्यवहारी द्वारा अपीलीय आदेश की अनुसरण में केवल शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, ना कि कोई दस्तावेजी साक्ष्य, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उक्त माल व्यवहारी द्वारा स्वयं की इकाई के निर्माण कार्यों में काम में लिया गया है, ना कि विक्रय किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा पुनः अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाने पर, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.05.2012 से व्यवहारी की अपील अस्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा अंकित किया गया है कि **"अपीलान्ट द्वारा उक्त सीमेन्ट स्वयं की यूनिट्स में काम लेने के संबंध में करनिर्धारण अधिकारी द्वारा चाहे गये दस्तावेजी प्रमाण जैसे रोकड़ खाते, स्वयं उपयोग का रजिस्टर, उत्पादन रजिस्टर, मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेन्ट, किन किन युनिट्स में कितना कितना सीमेन्ट उपयोग में लिया है उसका यूनिट वाईज इश्यू रजिस्टर आदि उनके समक्ष पेश करने चाहिये जिनसे यह प्रमाणित हो सके कि अपीलान्ट ने वास्तव में 62,34,483/— का सीमेन्ट स्वयं के उपयोग में लिया है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और नाही अपील स्तर पर इस तथ्य की पुष्टि करनिर्धारण अधिकारी द्वारा चाहे गये दस्तावेजों से करवाई इसलिये बिना प्रमाण के यह नहीं माना जा सकता कि उक्त माल अपीलान्ट ने स्वयं के उपयोग में लिया है। इसलिये करनिर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित किया गया कर 11,84,552/— एवं ब्याज न्यायोचित है। अधि0प्रति0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण अपीलान्ट की तब ही मदद कर सकता है जब वह इसे स्वयं की यूनिटों में काम लेना दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित करवाये अतः वर्तमान प्रकरण में यह उद्धरण अपीलान्ट की कोई मदद नहीं करता है। फलतः दायर अपील अस्वीकार की जाती है।"** अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा उक्त माल राजस्थान में स्थित उनकी स्वयं की यूनिट्स स्थापित करने के लिये सिविल कार्य में काम में लिया गया है इसके अलावा इकाई की रिपेयर में भी काम में आती है, जिस पर किसी प्रकार की करदेयता नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी को उक्त माल की बिक्री अवधारित किये जाने से पूर्व यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि उक्त माल की बिक्री की गयी है।

लगातार.....3

बिना बिक्री प्रमाणित किये कर निर्धारण अधिकारी कर व ब्याज का आरोपण नहीं कर सकते। विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि उनके पूर्ववर्ती वर्षों में भी उनके द्वारा स्वयं निर्मित सीमेन्ट का स्वयं की इकाईयों के निर्माण कार्य में काम में ली गयी थी, जिसे नियमित कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा स्वीकार करते हुए कर निर्धारण सम्पादित किया था। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वर्ष में इसे अस्वीकार करते हुए करारोपण किया जाना अविधिक है। अपीलीय अधिकारी ने भी अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। यह भी कथन किया कि उनकी समस्त लेखा–पुस्तकों एवं ऑडिट रिपोर्ट में इसका अंकन किया हुआ है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसी आधार से राशि दर्शाई है तब यह तर्क कि बहियात से प्रमाणित नहीं है, अनुचित है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. अपीलार्थी व्यवहारी का आलौच्य अवधि वर्ष 2005–06 के कर निर्धारण आदेश के अवलोकन पर विदित है कि उनके द्वारा इस वर्ष में कुल 333.66 करोड़ रूपये की बिक्री दर्शाई गई थी, जिसमें अपने द्वारा प्रस्तुत लेखों, रिटर्न एवं ऑडिट रिपोर्ट में रूपये 62.34 लाख अर्थात् कुल बिक्री का 0.0018 प्रतिशत माल स्वयं की अन्य युनिट के सिविल निर्माण में उपयोग में लेना बताया गया, जिसे लेखा–पुस्तकों में दर्ज किया गया है। व्यवसायी द्वारा इसी तरह स्वयं के युनिट में वर्ष 2004–05 (पिछले वर्ष) एवं वर्ष 2006–07 (अगले वर्ष) में क्रमशः रूपये 39.53 लाख एवं 101.62 लाख की सीमेंट स्वयं के उपयोग में लेना दर्शाया था, जिसकी रिपोर्ट बहस में पेश की गयी है एवं जिसे उन वर्षों के कर निर्धारण आदेश में स्वीकार किया गया है। इस वर्ष में कर निर्धारण अधिकारी का यह तर्क एवं आधार कि व्यवसायी द्वारा माल का उपयोग दस्तावेजों से प्रमाणित नहीं करवाया गया एवं शपथपत्र भी अस्वीकार किये हैं, पूर्णतया अनुचित है क्योंकि व्यवहारी द्वारा अपने लेखों में यह घोषित किया था कि वह माल स्वयं के उपयोग में आया है एवं शपथपत्र भी दिया गया था एवं बहियात में 332 लाख का निवेश का खर्च बिल्डिंग अकाउंट में दर्शाया था तब कर

लगातार.....4

निर्धारण अधिकारी का यह दायित्व था कि वे 333.66 करोड़ की बिक्री के अलावा 62 लाख की बिक्री कर चोरी से विक्रय किया जाना प्रमाणित करते। इस तरह बिना किसी आधार के व्यवहारी की घोषित **'उपयोग'** रिपोर्ट को अस्वीकार किया है जबकि पहले एवं बाद के वर्षों में इसे स्वीकार किया गया है एवं सामान्य ज्ञान से भी किसी सीमेंट यूनिट के निर्माण एवं रिपेयरिंग में स्वयं की सीमेंट ही उपयोग में ली जायेगी। इस तरह बिना किसी प्रमाण के स्व उपयोग हेतु घोषित सीमेंट की राशि को बिक्री की राशि माना जाना विवेकपूर्ण निर्णय नहीं है एवं विधिक रूप से गलत है कि इस माल का कोई विक्रय किया जाना प्रमाणित किये बिना उसे बिक्री मान लिया जावे, जबकि व्यवहारी की बैलेंस शीट में बिल्डिंग अकाउंट में 332.74 लाख का निवेश भी इस वर्ष में दर्शाया गया है।

7. इस तरह लेखों से प्रमाणित स्वयं द्वारा उपयोग में ली गई सीमेंट को बिना किसी साक्ष्य के बिक्री मानते हुए करारोपण मय ब्याज किया जाना अविधिक होने से इस अतिरिक्त मांग को अपास्त किया जाता है एवं अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य